Title: Introduction and consideration of the National Commission for Safai Karamcharis (Amendment) Bill, 2001.

MR. CHAIRMAN : Now, Bill to be introduced. Dr. Satyanarayan Jatia.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the National Commission for Safai Karamcharis Act, 1993."

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 12 अगस्त 1994 को हुआ था। पहली बार इसको 1997 तक और फिर 2001 तक, फिर 2002 तक और अब कहा जा रहा है कि 2004 तक इसकी अवधि को बढ़ाना है, इसलिए यह संशोधन लाए हैं।

महोदय, हिंदुस्तान का यह दुखःद इतिहास रहा है कि जो गंदगी करता है वह बड़ा आदमी है और जो गंदगी को साफ करता है वह छोटा आदमी या अछूत कहलाता है। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वे सब दलित हैं और उनकी संख्या आज पांच लाख के करीब है। यह आयोग बैठा है कि उनकी समस्याएं, शिकायतें कैसे दूर की जाएं, उनको सहूलियतें कैसे दी जाएं। लेकिन यह टर्म पर टर्म बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उनका कल्याण कैसे होगा? इसलिए इंट्रोडक्शन के वक्त में हमने विरोध किया है क्योंकि जो दलितों में भी दलित वर्ग है वह यह सफाई कर्मचारियों का वर्ग है। इनको सभी जातियों के लोग अछूत कहते हैं, उनका कल्याण कैसे होगा जब आप टर्म पर टर्म बढ़ाते जाएंगे। शुरू में तीन वर्ा के लिए हुआ था लेकिन समय को आप खींचते ही चले जा रहे हैं, यह सरकार की साजिश है। इनका कल्याण कैसे होगा? कंट्रैक्ट एक्ट के नियम दस में कहा गया है कि सफाई कर्मचारी, सफाई मजदूर कंट्रैक्ट एक्ट के

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 20.11.2001

अधीन नहीं हैं, इसलिए इसको खत्म करेंगे और इनका भी लेबर कंट्रक्ट हो जाएगा। इसलिए हम तो कहते हैं कि यह दलित विरोधी सरकार है और इसीलिए हम विरोध में खड़े हुए हैं। महात्मा गांधी का सपना था कि इनका कल्याण हो, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है कि टर्म पर टर्म बढ़ाते जाने से इनका कल्याण कैसे होगा।â€¦ (व्यवधान)

डॉ.(श्रीमती) अनीता आर्य (करोल बाग) : आपके बिहार में उनके साथ क्या हो रहा है?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार में दलितों को सम्मान मिला है।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी मैरिट पर बात नहीं करनी है, अभी तो लैजिस्लेटिव कम्पीटेंस पर बात करनी है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, आप तो कानून-कायदे के जानकार व्यक्ति हैं। जब यह 1994 में बना था तो इसका टर्म इतना क्यों बढ़ा और अब कहते हैं कि हम इसे 2004 तक गठन करना चाहते हैं। सभापति जी, सफाई मजदूरों के साथ छल हो रहा है। हम चाहते हैं कि सफाई मजदूरों के लाइफ इंश्योरेंस, मस्टर-रोल के मुताबिक तथा मिनिमम-वेज के मुताबिक उनको मजदूरी दी जाए, जोकि उनको नहीं दी जा रही है। अस्पतालों और स्कूलों में उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है, उनको वेतनभोगी कर्मचारी भी नहीं बनाया जा रहा है तथा उनको छोटा और नीचा कहा जा रहा है।

जो समाज में यह बीमारी फैली है, आप इसे दूर करने के उपाय करें, मूलभूत उपाय करें। लाखों सफाई कर्मचारियों के लिए आप क्या इंतजाम करने वाले हैं और आयोग कब उनकी शिकायतों को दूर करेगा? आप उनका कल्याण करें जिससे उन्हें सारी सहूलियतें मिल सकें। इस बात को सरकार स्पट करें नहीं तो हम इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे।

डॉ. सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति महोदय, डाक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी को सफाई कर्मचारियों के कल्याण के बारे में काफी चिन्ता है। वह चाहते हैं कि उनका कल्याण हो। सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग का गठन फरवरी 2001 में हुआ था। उसका कार्यकाल तीन साल का होना चाहिए और उसे तीन साल करना है, इस कारण यह संशोधन लाना जरूरी था। यदि हम यह संशोधन नहीं लायेंगे तो मार्च 2002 में यह खत्म हो जाएगा । उनका सामाजिक, आर्थिक उत्थान हो और इसके बारे में समग्र चिन्ता हो सके, इस कारण यह संशोधन लाया गया है। आप चाहते हैं कि इनका कल्याण होना चाहिए। इसी भावना से हमने यह संशोधन लाने का काम किया। इसमें इसका कार्यकाल तीन वर्ा बढ़ाने की बात है। अब फरवरी 2004 तक इसकी समय सीमा हो जाएगी। इस संदर्भ में आपने जो बात कही कि इसे किया जाए, उसके संबंध में मैं निवेदन करूगा कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the National Commission for Safai Karamcharis Act, 1993."

The motion was adopted.

श्री सत्यनारायण जटियाः सभापति महोदय, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित * करता हूं।

---

* Introduced with the Recommendation of the President